

की कमी और सीमेंट उद्योग की विकास दर में गिरावट रही है। आर्थिक तथा संपूर्ण उद्योग की मंदी, अवसंरचना परियोजनाओं पर अपर्याप्त खर्च और साथ-ही अन्तर-राष्ट्रीय मंदी की प्रवृत्तियाँ वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में भारी गिरावट और सीमेंट उत्पादन के नकारात्मक विकास के मुख्य कारण थे। आटोमोबाइल और सीमेंट विनिर्माता असोसिएशनों ने बजट-पूर्व ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें दोनों उद्योगों को उबारने के लिए उत्पाद शुल्क में कमी करने सहित अनेक रियायतें तथा प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया गया है। उद्योग असोसिएशनों के सुझावों पर सरकार ध्यान दे रही है। उत्पाद शुल्क में रियायत देने मात्र से ही वाणिज्यिक वाहनों तथा सीमेंट की मांग को पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है। वर्ष 1998-99 के बजट का 35% भाग ढांचागत क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आटोमोबाइल और सीमेंट क्षेत्रों सहित औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

#### Emigration clearance at Airports

1614. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what are the formalities to be observed to get emigration clearance by an Indian Passport holder;

(b) who is the officer authorised to give emigration clearances;

(c) why no facilities are provided at the airports to give emigration clearances;

(d) whether Government are aware that Indian Passport holders, who require emigration clearances, are harassed; and

(e) whether Government will consider providing the facilities of emigration clearances at the Airports?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATTIYA): (a) to

(e) All Indian Citizens whose passports have the classification of "Emigration Check Required (ECR)" are required to get emigration clearance before they leave for any country. In case of persons who want to go abroad for purpose other than for employment, the requirement of emigration check is suspended for the duration of the visit. He/she can obtain such suspension either from any office of

the Protector of Emigrants or from any of the Regional Passport Offices who have been specifically authorised for this purpose on production of valid documents. In emergent cases (like death/illness of the relatives abroad), the Immigration Authorities at the Airport have also been authorised to grant such suspension.

In the case of persons who hold passports with the classification 'ECR' and want to emigrate to other countries for employment on contractual basis, emigration clearance is required to be obtained from the Offices of the Protectors of Emigrants. If any such person belongs to the unskilled category, he/she is required to produce before the Protector of Emigrants, relevant documents like work agreement, visa etc. duly attested by the Indian Mission abroad. In the case of persons who are holding passports with the classification of ECR but belong to the skilled/semi-skilled category, the emigration clearance can be obtained from the Protectors of Emigrants through the registered recruiting agents.

The work relating to grant of emigration clearance by Protectors of Emigrants to persons who emigrate to other countries for employment involves detailed scrutiny of employment documents and at times it is necessary to obtain information/clearance from the Indian Missions abroad and/or this Ministry. As such it is not possible to grant instant emigration clearance at the airports even if such offices are opened at the airports. There is hardly any case of a person being harassed at the airports. In view of this, it has not been considered essential to provide facilities of emigration clearance at the airports except in emergent cases for which powers have already been given to the Immigration authorities at the airports.

#### बेरोजगार व्यक्तियों को विदेश भेजना

1615. श्री मुनव्वर हसन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जो महाराष्ट्र व दिल्ली से बेरोजगार व्यक्तियों को विदेशों में नौकरी के लिये भेजती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त एजेंसियों द्वारा विदेश भेजे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्षों में एजेंसियों द्वारा काफी व्यक्ति फर्जी तौर पर विदेश भेजे गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसी एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत अभी तक पूरे देश में 3,109 भर्ती एजेंटों को पंजीकृत किया गया है। इनमें से, महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य में क्रमशः 1,556 और 563 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है। वे सभी एजेंट जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जो अभी भी एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक हैं उनसे अपेक्षा है कि वे विदेशी नियोजकों से प्राप्त मांग के आधार पर ही कुछ कामगारों को विदेश में संविदात्मक नियोजन हेतु भेजें। चूंकि अंतर्ग्रस्त एजेंटों की संख्या बहुत है अतः कार्य के लिए कामगारों को भेजने के काम में लगे प्रत्येक एजेंट का ब्यौरा दे पाना बहुत कठिन है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को विदेश में कार्य के लिए उत्प्रवास अनुमति प्रदान की गयी, उनकी संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	कार्य के लिए विदेश भेजे गए कामगारों की संख्या
1995	4,15,334
1996	4,14,214
1997	4,16,424

इनमें से अधिकांश कामगारों को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोचीन और तिरुपावनंतपुरम में स्थित एजेंसियों द्वारा भर्ती किया गया तथा कार्य के लिए विदेश भेजा गया था।

(ग) से (ङ) सरकार को भर्ती करने वाले एजेंटों के विरुद्ध कुछ छिट-पुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों से संबंधित आरोपों में अधिक सेवा प्रभार वसूल किया जाना, उन्हें उन कार्यों, जिनके लिए उन्हें भर्ती किया गया था, के अलावा अन्य कार्यों के लिए

भेजा जाना, भर्ती के समय स्थानीय एजेंट द्वारा वचन दिए गए के अनुसार वेतन की अदायगी न किया जाना, तथा कामगारों को अन्य राष्ट्रों में ऐसे कार्यों के लिए भेजा जाना जो वास्तव में होते ही नहीं हैं। जब कभी भी भारतीय मिशनों अथवा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा शिकायतों के बारे में सरकार को सूचना दी जाती है, स्थानीय भर्ती एजेंटों के लिए निदेशों के माध्यम से कामगारों की शिकायतों को निपटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि शिकायत का निपटान नहीं हो पाता जब पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलम्बन/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। कार्य दिवस वाले प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को सार्वजनिक सुनवाई का भी आयोजन किया जाता है जिसमें शिकायत करने वालों तथा भर्ती एजेंटों दोनों को ही बुलाया जाता है। अधिकांश मामलों में प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों का ऐसी सुनवाई के माध्यम से निपटान कर दिया जाता है।

#### श्रम कानूनों का उल्लंघन

1616. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या श्रम मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में श्रम कानूनों की प्रति दिन धजियां उड़ती रहती हैं तथा मजदूरों की कानूनी सहायता के लिए कोई इंतजाम नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आज अधिकतर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या श्रम-कानूनों के अन्तर्गत अपने अधिकारी और न्यूनतम मजदूरी से वंचित मजदूरों की समस्याओं के निपटान हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) अपने-अपने क्षेत्रों में श्रम विधान के प्रवर्तन हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तन तंत्र का गठन किया गया है। श्रम विधान के उल्लंघन का मामला संबद्ध प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कानून के अनुसार निपटारा जाता है। किसी भी प्रकार की कमी का पता लगाने तथा उस संबंध में उपचारी कार्रवाई करने के लिए श्रम विधान के प्रवर्तन की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

#### Job Seekers in Gujarat

1617. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state: